

संख्या- 67 / आठ-2-14-11मा.का.यो./13

प्रेषक,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 3- उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक- 12 फरवरी, 2014

विषय-मा० श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में अप्रयुक्त धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय


उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-1088/आठ-2-2012-247 सा०/०८ टी०सी०-1 दिनांक 28 मई, 2012 एवं शासनादेश संख्या-67/आठ-2-14-11मा.का.यो./13 दिनांक 27.01.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त निर्गत शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में विभिन्न अभिकरणों/जनपदों के पी.एल.ए./बैंक खाते में अप्रयुक्त/अवशेष धनराशि की वापसी निम्नलिखित लेखाशीर्षक में किया जाय:-

"0217-शहरी विकास-60 अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य प्रतियाँ-01प्रकीर्ण प्राप्तियाँ"

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन/निदेशक, आवास बन्धु को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव।

संख्या-67 (1)/ आठ-2-14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को आवास विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए समस्त संबंधितों को ई.मेल/फैक्स के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 5- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(प्रेम शंकर)

संयुक्त सचिव